



2026:AHC:5672

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 42036 / 2025

दानिश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: ए. ज़ेड. खान

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति, अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. निषाद तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे प्रकरण अपराध संख्या 497 सन् 2025, धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक के कब्जे से लगभग 207 ग्राम चरस की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। वास्तव में, आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है, जिससे उसके विरुद्ध झूठे फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया गया है। रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं प्रताड़ना के उद्देश्य से इस मामले में झूठा फँसाया गया है। आवेदक 25.10.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि आवेदक के विरुद्ध आठ आपराधिक मामले हैं, जिनका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से फरार होने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है तथा वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, जो कि मादक पदार्थों की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः उसे कोई राहत प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

अतः जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त-आवेदक **दानिश** को उपर्युक्त प्रकरण अपराध में, न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक विवेचना अथवा विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षियों को धमकाने/प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपर्युक्त शर्तों का उल्लंघन जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा। जमानत बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा।

(श्री अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 9 जनवरी, 2026

पी.के.एस.